न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 01/2022

प्रार्थी –	*बनाम*	अप्रार्थीगण –
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर		1. आलमचन्द पुत्र किशनलाल जाति जैन निवासी होली चौक के पास, धोरीमन्ना, बाड़मेर (मैसर्स विमल ट्रेडिंग क0, मुख्य बाजार, धोरीमन्ना, बाड़मेर का मैनेजर) 2. मांगीलाल पुत्र किशनलाल सेठिया निवासी होली चौक के पास, धोरीमन्ना बाड़मेर (मैसर्स विमल ट्रेडिंग क0, मुख्य बाजार, धोरीमन्ना, बाड़मेर का अनुज्ञा पत्र धारक एवं फर्म प्रोप्राइटर)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 13.04.2022

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 58 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म **मैसर्स विमल ट्रेडिंग क0, मुख्य बाजार, धोरीमन्ना, बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनांक **04.01.2022** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **लाल [illegible]** [illegible] एक कट्टे में लगभग 20–25 किलोग्राम भरा हुआ पाया, को मिलावट [illegible] पर नियमानुसार दो किलोग्राम **लाल मिर्ची पाउडर (खुली)** [illegible]ना क्रय कि[illegible]कर नमूना संख्या **पी–1485** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुर[illegible] और मानक अधिनियम, 2006 के तहत [illegible]जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रे[illegible] के हस्ताक्षर करवाये [illegible] खाद्य पदार्थ **लाल मिर्ची पाउडर (खुली)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.05.02 09:56:02 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **लाल मिर्ची पाउडर (खुली)** का नमूना **Contravention of Regulations No. 2.3.14(15)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित हुआ तथा प्रकट किया कि उक्त खाद्य पदार्थ किसी भी रूप में अवमानक या निम्न गुणवत्ता का नहीं है तथा न ही मानव स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध नरमी का रूख अपनाते हुए परिवाद का निस्तारण किया जावे।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी मे माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **13.01.2022** की प्रति जरिये नोटिस सूचित किये जाने पर उसके द्वारा उस पर कोई असहमति प्रकट नहीं की गई है। इससे जाहिर है कि अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ का लिया गया नमूना **Contravention of Regulations No. 2.3.14(15)** पाये जाने के तथ्य को स्वीकार किया है। ऐसे में तथ्य की स्वीकृति सर्वोत्तम साक्ष्य है, लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से **रूपये** 10,000/– का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 13.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.05.02 09:56:02 IST
Reason: SelfAttested

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर